

श्रीमती अनिता, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/3/491
का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखण्ड में जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडल शेखपुरा के अधीन कौड़ीहारी नहर में तनपुरा मोड़ के निकट पूर्व से बना स्लुईस गेट सह पुल क्षतिग्रस्त रहने के कारण तनपुरा, सिलौर सहित कई ग्रामों के हजारों एकड़ सिंचित भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती हैं एवं क्षतिग्रस्त पुल को टूटने से किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक स्लुईस गेट सह पुल का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि :- नवादा जिला अन्तर्गत प्रखंड पकरीबरावा के ग्राम — तनपुरा के निकट कोरिहारी नहर में पूर्व से निर्मित क्रॉस रेगुलेटर-सह-पुल है, जो तीन भेंट का है। क्रॉस रेगुलेटर-सह-पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण गेट फंस गया है, जिस के कारण खोलने में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में खरीफ 2026 के लिए एक गेट को खोलने/काटने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे तनपुरा, सिलौर सहित कई ग्रामों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। सात निश्चय 3.0 के तहत हर खेत तक सिंचाई योजना अन्तर्गत क्षतिग्रस्त क्रॉस रेगुलेटर-सह-पुल का निर्माण कार्य का प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की जा रही है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-07-20/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-07-20/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-07-20/2026 5026

पटना/दिनांक : 31/8/2026

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



31/8/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव